भारत भवाई व्याक्या २ (१) (२०२० २) (NE 5 (DAK)) अश राजबीर धीमान, सक्षम प्राधिकारी(भू,अ.) सह जिला राजरव अधिकरी, जीन्द के द्वारा घोषित अवार्ड भारत अवार्ड दिनांक — 22-09-2020
ग्राम का नाम — जामनी
अवार्ड —

हरियाणा राज्य में नये, दिल्ली—अमृतसर-कटरा ऐक्सप्रेरावे (एनई-5) के भू—खण्ड के निर्माण (4 लंग/6 लंग आदि बनाने). अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियाजना कार्यान्वयन इकाई भिवानी, द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के अन्तर्गत ग्राम- जामनी की 42 2413 हेक्टेयर भूमि के अवाप्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

उवत भूमि अर्जन प्रस्ताव में भा०रा०रा०प्रा० प०का०ई० भिवानी के मध्यम से सडक परिवहन एवं सप्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा उक्त भूमि की 3A की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत के राजपन्न असाधारण गजट का.आ. संख्या 782(अ) दिनांक 19.02.2020 के मध्यम से प्रकाशित किया गया था। परियोजना निदेशक, भाराराष्ट्रा, पकाई—भिवानी द्वारा धारा 3A की उक्त अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्रों यथा — (1) दैनिक जागरण एवं (ii) द द्रिब्यून में दिनाक 01.03.2020 को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित किया गया। धारा 3A के सम्बन्ध में आपित हेतु निर्धारित समय अवधि 21 दिवस के भीतर प्राप्त आपित्तयों का निस्तारण धारा 3C के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया-भया।

तवोपरान्त, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D की उपधारा 3 के अन्तर्गत कुल 33.0399 है० के लिए अधिसूचना का प्रकाशन भारत के असाधारण राजपत्र का.आ. संख्या 2366(अ) में दिनाक 16.07.2020 को प्रकाशित किया गया। परियोजना निदेशक, भाराराप्रा. पकाई--भिवानी द्वारा उक्त अधिराचना का प्रकाशन धारा 3जी(3)/(4) के आम सूचना के साथ दो रथानीय समायार पत्रों यथा- (I) दैनिक जागरण में दिनांक 23.07.2020 एवं (ii) द ट्रिच्यून में दिनांक 21.07.2020 को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना में आपत्ति हेतु निर्धारित समय अवधि 7 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई।

ग्राम- जामनी का 3जी अवार्ड एवं देय मुआवजा की विवरण निम्न प्रकार है -

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित कुल रक्तवा 33 0399 हेक्टेयर है। कुल रक्तवे में से 0.8092 हे॰ हिरियाणा सरकार का होने से इसे अवार्ड में सिमिलित नहीं किया जाता है तथा कुल रक्तवे में से 0.5708 हे॰ ग्राम पंचायत का होने से इसे निमयों के तहत इस अवार्ड में राम्मिलित किया जाता है। उक्त अवार्ड में 109//7,109//8,130 मिन,131 मिन,132 मिन,37//19 मिन,37//22/1,37//22/2,46//1 मिन,46//2 मिन खसरा नम्बरां की मलिकियत का कुछ अंश हरियाणा सरकार एवं अन्य निजी मालिका का होने से इसे इस अवार्ड में सिमिलित किया जाता है परन्तु इससे मोर्क निहीतम के तक्ष्माजात के उपरान्त ही इसके वास्तवित मालिक को मुआवर्ज का भुगतान किया जाएगा। यदि यह हरियाणा सरकार का होगा तदीपरान्त इसकी राशि को वापिस कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के उपर RFCTLARR अधिनियम 2013 के समुवित धाराओं के प्रभावी होने के मददेनजर धारा 26 के तहत अधिग्रहणाधीन भूमि के बाजारी मूल्य निधीरण के क्रम में ग्राम जामनी में धारा 3A के समावार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 01.03.2020 से 3 वर्ष पूर्व तक किये गये खरीद विक्री की विवरणी संबंधित तहसील से प्राप्त की गई। साथ ही धारा 3ऐ के प्रकाशन के सगग्र प्रभावी हीरी दर को भी प्राप्त किया गया। इसके बाद दिनाक 22.09.2020 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अभिग्रहण)/जिला राजरत अधिकारी, जीन्द के द्वारा गुजावजे के दर निधारण हेतु एक वैठक की गई। बैठक में नियमों के तहत प्राप्त प्रभावी कर दिकार है—

Sadar copying Agent 1009 21

Officer Deputy Commissioner

Scanned with CamScanner

Page 1 of 2

Jal Jal

TOWNS REP LAC STRONG IN STANS

| राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ | राज्यमार्ग के साथ लगती | लिंक रोड के साथ लगती                  | अन्य किरम भूमि का दर                  |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| लगती भूमि का दर           | भूमि का दर             | भूमि का दर                            |                                       |
|                           |                        | 2700000 per Acre<br>(6671700 per Ha.) | 1801066 per Acre<br>(4450434 per Ha.) |

उक्त अवार्ड की मुआवजे की गणना के लिए दर निर्धारण में वर्तमान किए गए दर निर्धारण से पूर्व में इसी ग्राम के राष्ट्रीय राजमार्ग 152डी के लिए किए गये 3जी अवार्ड (अवार्ड संख्या - 22-18 दिनांक 26.12.2018) की गणना में प्रयुवत रेट से कम है अतः उक्त के आलोक में इस परियोजना के लिए इसी ग्राम के पूर्व निर्धारित रेंट को आधार मान कर अवार्ड की गणना की जाती है (लिंक रोड़ के साथ लगती भूमि का दर-2700000 प्रति एकड , अन्य किस्म भूमि का दर-1950000 प्रति एकड )

उक्त अवार्ड में खरारा नम्बरानं यथा— 109//2/1, 2/2, 3, 4, 7, 8, 90//23, 24, 46//12, 9, 3, 37//12, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23 प्राईम नम्बर की श्रेणी में आता है जिसका दर इसी ग्राम के रोड़ के साथ लगती भूमि के डी०सी० दर के समरूप निर्धारित किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा गजट संख्या. का.आ 3/के.अ 30/2013/धा. 30/2018 दिगांक 23 जनवरी 2018 के द्वारा प्रतिपादित प्राप्त दर के लिए गुणक जो वर्तमान मामले में नजदीकी नगर पालिका सफीदों की सीमा से अर्जनाधीन खसरों के 10 कि.मी. से 20 कि.मी. के दायरे में अवरिथत होने के दृष्टिगत 1.50 निर्धारित किया जाता है। साथ ही, RFCTLARR Act 2013 के धारा 30 के तहत 100 प्रतिशत सोलेशियम का भी प्रावधान मुआवजे के निर्धारण में किया गया है, इसी के आलोक में ग्राम जामनी में प्रभावित खसरों के उजी अवार्ड (परिसम्पितियों को छोड कर) आज दिनांक 22.09.2020 को कुल 50,35,48,532 /- रू के लिए घोषित करते हुए अधियाची विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) को इसकी एक मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए मुआवजे की राशि को अविलम्ब सक्षम प्राधिकारी (भू०अ०) सह जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द एवं भा०रा०पा०पा० परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भिवानी के संयुक्त खाते में संबंधित हितबुद्ध व्यक्तियों के बीच इसके वितरण हेतु उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। साथ में इसकी एक प्रति संबंधित तहसील में भेजने का आदेश दिया जाता है।

> (श्री राजबीर धीमान) सक्षम अधिकारी (भू.अ.) **ै**/८एवं जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।

प्रतिलिपि -

पृष्ट क्रमांक 1173 /एलए दिनांक 22/04/02

इसकी एक एक प्रति परियोजना निदेशक, पकाई-भिवानी, म.न. 1397 पी, हुडा रोक्टर-13, भिवानी को स्चनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेत् प्रेषित है ।

> सक्षम अधिकारी (मू.अ.) **8**/एवं जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।

> > Page 2 of 2

Scanned with CamScanner

